उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 22 पौष, शक संवत्, 1926
(दिनांक : 12 जनवरी, 2005)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिये नत्थी "क")।

2. निधन के निर्देश।

3. मुख्यमंत्री, संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड-2 के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष, 2002-2003 का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

4. मुख्यमंत्री, संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड-2 के वर्ष, 2003-2004 (उत्तरांचल सरकार) के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखेंगे।

5. मुख्यमंत्री, संविधान के अनुच्छेद-323 (2) के अधीन उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन, 2003 को सदन के पटल पर रखेंगे।

6. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 (2) के अन्तर्गत उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2002-2003 एवं वर्ष 2003-2004 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे।

7. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अन्तर्गत (1) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2004, (2) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004, (3) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना सितम्बर 01, 2004, (4) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना जून 15, 2004, (5) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (वितरण में उन्मुक्त अभिगमन हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2004, (6) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना दिनांक 14 मई, 2004, (7) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना दिनांक 14 मई, 2004, (8) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना दिनांक 10 मार्च, 2004, (9) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2004 एवं (10) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002 को सदन के पटल पर रखेंगे।

—2

8. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उ.प्र. जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2004 को सदन के पटल पर रखेंगे।

9. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्याः 1, 1904) की धारा 230, 294 तथा 344 के अन्तर्गत "उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 को सदन के पटल पर रखेंगे।"

10. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

(1) उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 जुलाई, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2004 का पांचवा अधिनियम बन गया।

(2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अगस्त, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2004 का छठा अधिनियम बन गया।

(3) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अगस्त, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2004 का सातवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अगस्त, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2004 का आठवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अगस्त, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2004 का नवां अधिनियम बन गया।

11. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

12. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक आने-जाने हेतु रज्जू मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री शशिमोहन राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के मौध में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री कुन्दन सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत टिपरी (बिष्ट) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री श्रीपाल सिंह महन्त एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के गोडर-खाटल क्षेत्र के ओडगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री लोकेन्द्र चौहान एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के ग्राम धरासू को पर्यटन ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री भरत सिंह नाथ एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

17. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत नालूपानी-पटारा-डांग (जसपुर) स्यालना मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सरवीर चन्द्र रमोला एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

18. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के ग्राम बनास (गीठ) को पर्यटन ग्राम घोषित किए जाने के सम्बन्ध में" श्री अजबीन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

19. श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत आदर्श कन्या जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" कै० हरि सिंह सामन्त एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

20. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बधाणगांव में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री त्रिलोक चन्द्र रमोला एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

21. श्री प्रकाश पंत, सदस्य, विधान सभा, "जनपद अल्मोड़ा के वला-म्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री उम्मेद सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

22. श्री माल चन्द, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के सांकरी, मोरी में ऊन की मण्डी हिमाचल पैटर्न पर विकसित करने के सम्बन्ध में" श्री चन्द्र सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

23. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में गुप्तड़ी-तामानौली निर्माणाधीन मोटर मार्ग का विस्तार आवलाघाट तक किये जाने के सम्बन्ध में" श्री होशियार सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

24. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद अल्मोड़ा की 11 ग्राम सभाओं पट्टी पल्ला नया विकास खण्ड सल्ट को भौगोलिक विषमता के आधार पर विकास खण्ड भिकियासैण में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री गिरधारी दत्त ध्यानी एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

25. श्री सुरेश चन्द्र जैन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में (नगर) स्थापित रोडवेज बस अड्डे को अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री देशबन्धु गुप्ता एवं अन्य निवासीगण, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

26. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद अल्मोड़ा के केदार-तलाई, स्याल्दे-सिपानगर, उल्गरा मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री किशोर चन्द्र एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

27. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण के ग्राम भट्यूड़ा, थरकोट, मासो, बालाकोट, पुरान, जाख, लोधियागैर एवं बुंगा ग्राम समूह पेयजल योजना के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में" श्री किशन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

28. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद चम्पावत के विकास खण्ड लोहाघाट में डिग्री कालेज से खतेड़ा तक पूर्व स्वीकृत 18 कि0मी0 मोटर मार्ग को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री किशोर चन्द्र जोशी एवं अन्य निवासीगण, जनपद चम्पावत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

29. श्री कैलाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा, "जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भैसियाछाना में स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में" श्री खड़ग सिंह मेरा एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

--5

30. श्री कैलाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा, "जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौलादेवी के ग्राम पंचायतों की गम्भीर पेयजल समस्या को देखते हुए सरयू नदी से (सरयू लिफ्ट योजना) बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री रमेश चन्द्र जोशी एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

31. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

32. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

33. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

34. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उ.प्र. जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

35. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उ.प्र. जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करेंगे।

36. तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

37. तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।

38. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

39. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।

40. मुख्यमंत्री, बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

41. मुख्यमंत्री, बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।

42. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

43. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।

44. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

45. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।

46. शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

47. शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।

48. शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

49. शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।

50. शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

51. शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।

52. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

53. श्री हेमेश खर्कवाल निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2005 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

श्री गणेश गोदियाल उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।
(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी "ख")

54. नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 12 जनवरी, 2005

(महेश चन्द्र)
सचिव।

प्रथम सत्र, 2005

का प्रथम बुधवार

उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा

की कार्यसूची

बुधवार, 22 पौष, शक संवत्, 1926

(दिनांक : 12 जनवरी, 2005)

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
28-09-2004

*1. क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि उत्तरांचल राज्य के गठनोपरान्त मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों को दिया जाने वाला त्रिभाषा अनुदान बन्द कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या जनहित में सरकार त्रिभाषा अनुदान को पुनः प्रारम्भ करने जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? — शिक्षा

डा0 नारायण सिंह जन्तवाल
29-09-2004

*2. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश को पूर्ण साक्षर बनाने के लिये कोई समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है तथा प्रदेश में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा? — शिक्षा

श्री बिशन सिंह चुफाल
12-10-2004

*3. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विशिष्ट बी.टी.सी. के पदों की संख्या जनपदवार निर्धारित करने के क्या मानक हैं? क्या मानकों के आधार पर संख्या निर्धारित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? — शिक्षा

श्री मदन कौशिक
15-10-2004

*4. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु कितने-कितने पदों का आवंटन किया गया है? क्या आवंटन हेतु कोई नीति अपनायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? — शिक्षा

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
15-10-2004

*5. **न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त**

श्री प्रीतम सिंह पंवार
20-10-2004

*6. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तरकाशी को डेनमार्क सरकार द्वारा उपहार इन्डिया मिक्स फूड वर्ष 2004 में कब प्राप्त हुआ था? क्या यह सत्य है कि रख रखाव व वितरण अभाव में उक्त आहार तीन माह से अधिक अवधि तक कमरों में बन्द रखा गया? क्या सरकार आहार के समय से वितरण न कराये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? शिक्षा

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
01-11-2004

*7. क्या शिक्षा मंत्री भिज्ञ हैं कि शिक्षा विभाग के एस.सी.ई.आर.टी. नरेन्द्रनगर के अपर निदेशक के पत्रांक 1763-79/पु0स0/2003-04 दिनांक 16 जून, 2003 द्वारा सत्र 2003-04 हेतु कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तके क्रय करने हेतु उत्तरांचल के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया था? यदि हाँ, तो किन-किन प्रकाशकों की पुस्तकें क्रय करने हेतु संस्तुति की गई थी तथा संस्तुति हेतु मानक क्या था? शिक्षा

श्रीमती आशा नौटियाल
08-11-2004

*8. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की बेसिक पाठशालाओं में संचालित मध्याहन भोजन मैदानी क्षेत्र की पाठशालाओं की भांति पर्वतीय क्षेत्र की पाठशालाओं में भी सुचारू रूप से संचालित किए जाने की दृष्टि से समय-समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है? यदि हाँ, तो इस हेतु क्या व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? शिक्षा

श्री प्रकाश पंत
03-12-2004

*9. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के सी.टी. संवर्ग के शिक्षकों को केन्द्रीय पंचम पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? शिक्षा

अतारांकित प्रश्न

श्री नारायण राम आर्य
23-09-2004

1. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकासखण्ड गंगोलीहाट में कालेजवार रा0इ0 कालेजों में कितने प्रवक्ताओं तथा रा0उ0मा0वि0 में कितने अध्यापकों के पद रिक्त है? इन रिक्त पदों को भरने की क्या कार्यवाही चल रही है? शिक्षा

डा0 नारायण सिंह जन्तवाल 25-09-2004	2. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल की नगरपालिका परिषद नैनीताल द्वारा संचालित दुर्गालाल शाह पुस्तकालय की आर्थिक स्थिति अत्यन्त जर्जर है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुस्तकालय को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' 28-09-2004	3. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के खादर क्षेत्र स्थित विकास खण्ड खानपुर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, डुमनपुरी (खानपुर), प्रा0वि0 रूहाल्की तथा प्रा0वि0 गोवर्धनपुर (खानपुर) से कतिपय सहायक अध्यापकों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है? क्या यह सत्य है कि ब्लॉक खानपुर जो कि अति पिछडे क्षेत्र हैं के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी है? यदि हाँ, तो स्थानान्तरण किए जाने का क्या कारण है? क्या सरकार जनहित एवं छात्रहित में इन विद्यालयो में शिक्षकों की तैनाती करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
डा0 नारायण सिंह जन्तवाल 29-09-2004	4. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विषय के पठन-पाठन के कार्य हेतु अतिरिक्त शिक्षकों को नियुक्त किये जाने पर विचार कर रही है?	शिक्षा
श्री किशोर उपाध्याय 01-10-2004	5. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय भवनहीन, जीर्ण-शीर्ण, शौचालय विहीन तथा क्रीड़ागंन विहीन है? क्या सरकार छात्रहित में उक्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित किये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 04-10-2004	6. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बडोगी में दि0 05-12-2003 को चयनित शिक्षा मित्र अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु कब तक भेज दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 05-10-2004	7. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल मे कुल कितने संस्कृत विद्यालय हैं तथा वर्तमान में कितने बन्द पड़े हैं? क्या संस्कृत अकादमी की स्थापना हो जाने पर सरकार इन सभी बन्द पड़े संस्कृत विद्यालयों को अनुदान की श्रेणी में रखकर पुनः प्रारम्भ करवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 06-10-2004	8. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0ख0 द्वारीखाल, यमकेश्वर तथा दुगड्डा के प्रा0 विद्यालयों में मानकानुसार अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है? क्या यह सत्य है कि अभी तक दुर्गम स्थानों के सभी विद्यालयों में एक ही अध्यापक नियुक्त हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन विद्यालयों में अन्य अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा

श्री प्रीतम सिंह पंवार 13-10-2004	9. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में पीताम्बर पुत्र नत्थू सिंह, विजय शर्मा पत्नी संजय कुमार, मुरारीलाल पुत्र महेश्वर प्रसाद तथा सरिता पत्नी जगमोहन सिंह बाहरी राज्य के जनपदों के मूल निवासी हैं? क्या यह सत्य है कि उक्त व्यक्ति स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर विशिष्ट बी.टी.सी. में चयनित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी तथा उपरोक्त चारों अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण पर तत्काल रोक लगायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 13-10-2004	10. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा आचार्यों के मानदेय को एक हजार रूपय से बढ़ाकर दो हजार रूपये किए जाने की घोषणा दिनांक 15.01.2004 को की गई थी? यदि हाँ, तो शिक्षा आचार्यों का मानदेय बढ़ाया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री बिशन सिंह चुफाल 13-10-2004	11. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रा0वि0 नारखोली के भवन की दीवार तथा छत में दरारें पड़ने से वर्षा का पानी कमरे के अन्दर आ रहा है, जिस कारण भवन कभी भी गिर सकता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार नये भवन बनाये जाने हेतु विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 20-10-2004	12. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा विभाग उत्तरकाशी को माह मई, 2004 में डेनमार्क सरकार से उपहार इन्डिया मिक्स फूड के अन्तर्गत वितरण हेतु कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा प्राप्त धनराशि का व्यय किन-किन मदों पर किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल 23-10-2004	13. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ताओं तथा अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार द्वारा रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती करने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 25-10-2004	14. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के किन-किन प्राथमिक विद्यालयों में मानकों से अधिक अध्यापकों की तैनाती की गयी तथा विद्यालयवार छात्र संख्या क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त तैनाती किस आधार पर की गयी है तथा इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या सरकार दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 25-10-2004	15. क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के ग्राम सभा तालीकनसारी के कनसारी गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति कब प्रदान की गयी थी? क्या उक्त विद्यालय वर्तमान में संचालित हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री हरभजन सिंह चीमा 26-10-2004	16. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में वर्ष 2004-05 की रबी व खरीफ की फसलों के अनाज को क्रय किए जाने की सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रथम गुरूवार के अता0 37 में स्था0
श्री प्रीतम सिंह पंवार 26-10-2004	17. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मोलागांव की छत दो वर्ष पूर्व आंधी व तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं के हितों को मध्य नजर रखते हुये उक्त विद्यालय का पुर्ननिर्माण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 27-10-2004	18. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के मैथागाड (ज्ञानसू) नगर क्षेत्र में नवसृजित कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम मोताड़ विकासखण्ड मोरी के नाम स्वीकृत विद्यालय को ज्ञानसू नगर क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 27-10-2004	19. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मताड़ी व प्राथमिक विद्यालय नकोड़ा में अध्यापकों की तैनाती न किये जाने के कारण विद्यालय में ताले लटके हुवे हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त विद्यालयों में शीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति करेगी तथा इसके लिये सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री हरबंस कपूर 30-10-2004	20. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु की सेवा पर ग्रेच्यूटी सुविधा राज्य कर्मचारियों की भांति प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	शिक्षा
श्री हरबंस कपूर 30-10-2004	21. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कक्ष निरीक्षक की भांति पालीवार पारिश्रमिक सुविधा प्रदान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	शिक्षा

श्री हरबंस कपूर 30-10-2004	22. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पंचम वेतनमान लागू होने के पश्चात् उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने हेतु कोई शासनादेश निर्गत किया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	शिक्षा
श्री कैलाश शर्मा 02-11-2004	23. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में रा० इण्टर कालेज हवालबाग के पूर्ण ध्वस्त भवन के जीर्णोद्धार हेतु सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री कैलाश शर्मा 02-11-2004	24. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2004-05 में उच्चीकृत हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में स्वीकृत पदों पर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री कैलाश शर्मा 02-11-2004	25. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बालिका हाईस्कूल नारायण तेवाड़ी देवाल का विद्यालय भवन न होने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय हेतु भवन निर्माण करवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 03-11-2004	26. क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के रा.इ.कालेज कनखुल में वर्तमान में प्रधानाचार्य सहित कुल कितने अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं? क्या सरकार इन पदों पर तैनाती किये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	शिक्षा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 03-11-2004	27. क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सर्व शिक्षा के अन्तर्गत जनपदवार कुल कितने प्राईमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों का निर्माण किया गया? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन विद्यालयों की चयन प्रक्रिया में मा० विधायकों एवं सांसदों को भी जोड़ा गया था? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री कैलाश शर्मा 03-11-2004	28. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रा० कन्या हाईस्कूल बाड़ेछीना तथा रा० कन्या हाईस्कूल जलना को उच्चीकृत किये जाने की मांग क्षेत्र की जनता लम्बे समय से करती आ रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में विचार कर रही हैं? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?	शिक्षा

श्री कैलाश शर्मा 03-11-2004	**29.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा वि0ख0 भैसियाछाना के जू0 हाईस्कूल पेटशाल तथा वि0ख0 हवालबाग के अन्तर्गत जू0 हाईस्कूल बल्टा का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण हेतु जनता लम्बे अरसे से मांग करती आ रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री कैलाश शर्मा 03-11-2004	**30.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 तक सभी विकासखण्डों में समानता के आधार पर कुल कितने जू0 हाईस्कूलों की स्वीकृति तथा कितने पूर्ण ध्वस्त जू0 हाईस्कूलों के नये भवन बनाये गये हैं? क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि नये विद्यालयों की स्थापना तथा पूर्ण ध्वस्त भवनों के स्थान पर नये भवनों के निर्माण के लिये क्या मानक तय किये गये हैं?	शिक्षा
श्री कैलाश शर्मा 03-11-2004	**31.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा वि0ख0 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जू0हाई0 स्कूल सत्यों के पूर्ण ध्वस्त भवन के स्थान पर नये भवन के निर्माण में व्याप्त अनियमितताओं की जाचं सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री कैलाश शर्मा 03-11-2004	**32.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 हेतु स्वीकृत नये जू0 हाईस्कूल एवं पूर्ण ध्वस्त भवन किन मानकों के आधार पर तय किये गये? क्या उपरोक्त प्रक्रिया में विधायकों के प्रस्तावों को भी सम्मिलित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री अनिल नौटियाल 06-11-2004	**33.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में कुल कितने अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण हुए तथा उनका विवरण क्या है?	शिक्षा
श्री कैलाश शर्मा 08-11-2004	**34.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अलमोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड भैसियाछाना, हवालबाग तथा लमगड़ा के कितने प्राथमिक विद्यालयों में एक ही अध्यापक नियुक्त है तथा कितने प्राथमिक विद्यालयों में मानक से अधिक अध्यापक नियुक्त हैं?	शिक्षा
श्री फूल सिंह बिष्ट 16-11-2004	**35.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2004 को हर्बलपार्क मुनी-की-रेती के उद्घाटन अवसर पर मुनी-की-रेती में रा.इ.का. रौणद, गारूडधार, रजाखेत, ओखलाखाल, लम्बगांव जनपद टिहरी गढ़वाल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु 5-5 लाख रू0 दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त विद्यालयों को कब तक घोषित धनराशि उपलब्ध करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा

श्रीमती आशा नौटियाल 08-11-2004	**36.** क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्य मुनि में जलागम विभाग की कोई इकाई खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**जलागम**
श्री प्रकाश पंत 16-11-2004	**37.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के जूनियर हाईस्कूल स्तर तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों को राजकीय मुद्रणालय रूड़की द्वारा पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हाँ, तो क्या सभी वियालयो में 31 अक्टूबर, 2004 तक सभी पुस्तकें उपलब्ध करा दी गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री बलबीर सिंह नेगी 18-11-2004 श्रीमती विजय बड़थ्वाल 20-11-2004 श्री हेमेश खर्कवाल 20-11-2004	**38.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में सरकारी विद्यालयों में एल.टी. वेतनक्रम तथा प्रवक्ता के पदों पर जीव विज्ञान विषय में कुल कितने सहायक अध्यापक तथा प्रवक्ता सेवारत हैं, कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार जीव विज्ञान विषय में सहायक अध्यापकों तथा प्रवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकारी विद्यालयों में कब तक पूरी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री फूल सिंह बिष्ट 19-11-2004	**39.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत चन्द्रेश्वरसैंण इण्टर कालेज के भवन का निर्माण पुर्नवास निदेशालय टिहरी बांध की देख-रेख में उत्तर प्रदेश सरकार की कम्पनी कर रही है? यदि हाँ, तो क्या पुर्नवास निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्माणाधीन कार्य की गुणवता की समीक्षा की जाती रही है? क्या सरकार निरीक्षण/समीक्षा आख्या को सदन के पटल पर रखेगी? सरकार छात्र हितों को ध्यान में रखते हुये पठन-पाठन हेतु उक्त भवन को कब तक उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**प्रथम सोमवार के अता0 182 में स्था0**
श्री काशी सिंह ऐरी 19-11-2004	**40.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के प्राइमरी पाठशाला चौपाता, जो कि वर्ष 2000 से प्रारम्भ हो चुका है का पठन-पाठन का कार्य खुले में ही किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि विद्यालय भवन को अभी तक हस्तान्तरित नहीं किया गया है? क्या सरकार उक्त भवन को इसी शैक्षिक सत्र मे विद्यालय को हस्तान्तरित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री फूल सिंह बिष्ट 20-11-2004	**41.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा 26 फरवरी, 2004 को मुनी-की-रेती में हर्बलपार्क के उद्घाटन के अवसर पर जनपद टिहरी गढ़वाल में हाईस्कूल कण्डियालगांव को इण्टर कालेज स्तर तक उच्चीकरण किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो कब तक उक्त विद्यालय उच्चीकृत कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**

श्री फूल सिंह बिष्ट
20-11-2004

42. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2004 को मुनी-की-रेती में हर्बलपार्क के उद्घाटन के अवसर पर हाईस्कूल थापला ओण जनपद टिहरी गढ़वाल का इण्टर स्तर तक उच्चीकरण की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो कब तक उक्त हाईस्कूल को उच्चीकृत कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री फूल सिंह बिष्ट
22-11-2004

43. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य निर्माण से अब तक बड़ी संख्या मे हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के रूप में प्रदेश में अनेक विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो जनपदवार इनकी संख्या को अंकित करते हुये आख्या को सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
23-11-2004

44. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के प्रा0वि0 कालूसैंड़ का भवन पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उक्त विद्यालय भवन निर्माण के लिये धनराशि स्वीकृत करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री फूल सिंह बिष्ट
23-11-2004

45. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2004 को मुनी-की-रेती में हर्बलपार्क के उद्घाटन के अवसर पर जूनियर हाईस्कूल मंदार-जनपद टिहरी गढ़वाल का हाईस्कूल तक उच्चीकरण कराये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी "ख"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री मातबर सिंह कण्डारी नेता प्रतिपक्ष तथा श्री भगत सिंह कोश्यारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने, 2. भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर अंकुश लगाये जाने, 3. कृषि को उद्योग का दर्जा देने, 4. गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को बी0पी0एल0 कार्ड और इन्दिरा आवास की सुविधा ग्रामसभा द्वारा दिये जाने, 5. प्रदेश में बस दुर्घटनाओं पर रोक लगाये जाने, 6. विकास प्राधिकरणों से आम जनता को निजात दिलाये जाने, 7. प्रदेश को पर्यटन-ऊर्जा प्रदेश बनाये जाने, 8. प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था को दुरस्त किये जाने और बढ़ते अपराधों को रोके जाने, 9. विद्युत कटौती एवं लो-वोल्टेज से प्रदेश की जनता को राहत दिये जाने, 10. उ0प्र0 के साथ परिसम्पत्तियों का बंटवारा और विकल्पधारियों को कार्यमुक्त किये जाने, 11. मिट्टी तेल की ब्लैक मार्केटिंग को रोके जाने, 12. दैनिक वेतन भोगी/संविदा/नियत वेतनमान तथा तदर्थ पर कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण किये जाने, 13. कृषकों/मजदूरों/झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों के उत्थान के लिए कार्ययोजना बनाये जाने, 14. कृषकों के बकाये गन्ने मूल्य का भुगतान किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15. जल कर/जल मूल्य/विद्युत कर/सीवरेज चार्जेज़ की वृद्धि पर रोक लगाने, 16. प्रदेश में खराब पड़े हैण्ड पम्पों/क्षतिग्रस्त नहरों/खराब नलकूपों तथा बन्द पड़ी हाईड्रम योजनाओं को चालू करने, 17. विकास कार्यो के लिए टेण्डर राशि की सीमा घटाने, 18. शिक्षा मित्र/शिक्षा बन्धु/विजिटिंग प्रवक्ता/व्यवसायिक शिक्षक तथा प्रशिक्षित शिक्षकों का विनियमितीकरण किये जाने, 19. तहसील/उपतहसीलों में स्टाफ की नियुक्ति किये जाने, 20. उत्तरकाशी/चमोली/बागेश्वर/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़ के भेड़ उत्पादकों की ऊन की बिक्री की व्यवस्था किये जाने, 21. मूल निवास/जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने, 22. बेरोजगार विद्युत अप्रेन्टिसों को नियुक्ति प्रदान किये जाने, 23. विशिष्ट बी0टी0सी0 में तत्काल प्रशिक्षण दिये जाने, 24. राष्ट्रीय पार्कों, उद्यानों और पशु विहारों में बसे ग्रामीणों का पुनर्वास उचित स्थान पर किए जाने, 25. पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की प्रवृत्ति को रोकने की योजना बनाये जाने, 26. रुद्रप्रयाग/कपकोट (बागेश्वर) में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने, 27. कपकोट (बागेश्वर) में पालिटेक्निक संस्थान खोले जाने।
2.	श्री बिशन सिंह चुफाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद पिथौरागढ़ के नाचनी बांस बगड़ सड़क, डीडीहाट आदिचौरा सड़क, पमतोडी भातड़ सड़क, बेरीनाग पूरानाथल सड़क का डामरीकरण किये जाने, 2. जनपद पिथौरागढ़ के पूरानाथल तडीगांव मोटर मार्ग के राम गंगा नदी पर मोटर पुल का निर्माण किये जाने, 3. जनपद पिथौरागढ़ के जू0हा0 स्कूल विर्धी का उच्चीकरण किये जाने, 4. जनपद पिथौरागढ़ रा0 कन्या उ0मा0वि0 थल का उच्चीकरण किये जाने, 5. जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट को जनपद बनाये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6. जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट तथा बेरीनाग में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने, 7. जनपद पिथौरागढ़ के चौकोडी उडियारी में लिफ्ट पेयजल योजना बनाये जाने, 8. डीडीहाट में पौलिटेक्निक कालेज खोले जाने, 9. राजकीय बालिका इन्टर कालेज डीडीहाट का भवन निर्माण किये जाने, 10. होकरा, कोटगाड़ी तथा सिराकोट धार्मिक स्थलों का विकास किये जाने।
3.	श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल के समस्त महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के पदों को भरे जाने, 2. उत्तरांचल के समस्त संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त पदों को अविलम्ब भरे जाने एवं अध्यापकों को पंचम वेतनमान दिये जाने, 3. उत्तरांचल में व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े अध्यापकों को विनियमित किये जाने, 4. जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग के कन्या जू0 हाईस्कूल भकण्डा का उच्चीकरण किये जाने, 5. जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग के राजकीय हाईस्कूल सिलिंगी का उच्चीकरण किये जाने, 6. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में लो0नि0 विभाग का डिविज़न खोले जाने, 7. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में रा0उ0मा0वि0 चौण्डी का उच्चीकरण किये जाने, 8. उत्तरांचल में सवित्त मान्यता के लिए समस्त आवेदक जूनियर हाईस्कूल एवं हाईस्कूलों को वित्त मान्यता प्रदान किये जाने, 9. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में राजकीय पौलिटैक्निक खोले जाने, 10. जनपद चमोली के वि0ख0 घाट में राजकीय आई0टी0आई0 खोले जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11. जनपद चमोली के वि0ख0 घाट में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने, 12. जनपद चमोली के वि0ख0 घाट में वुरागांव को मोटर मार्ग से जोड़े जाने, 13. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में पोखरी से हरिशंकर होते हुये चौण्डी, रौता, कनकचौरी तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने, 14. गढ़वाल विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अन्तर्गत म्यूजियोलाजी विषय हेतु प्रवक्ता के पद को सृजित किये जाने, 15. बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति एक्ट के अन्तर्गत उत्तरांचल विधान सभा के तीन सदस्यों को मन्दिर समिति में बतौर सदस्य नामित किये जाने, 16. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी एवं घाट में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाने, 17. जनपद चमोली के गोपेश्वर पोखरी एवं पोखरी मोहनखाल मोटर मार्ग को गड्ढा मुक्त किये जाने, 18. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के पैडी कुजासु मोटर मार्ग को वाहन योग्य बनाये जाने, 19. जनपद चमोली के वि0ख0 घाट में धूर्मा मोखकुण्डी मोटर मार्ग का विस्तार किये जाने, 20. जनपद चमोली के नगर पंचायत नन्दप्रयाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, 21. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने, 22. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी मन्दिर एवं नागनाथ मन्दिर का सौन्दर्यीकरण किये जाने, 23. उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय को पर्वतीय क्षेत्र में खोले जाने, 24. उत्तरांचल लोक सेवा आयोग में समूह 'ग' के पदों को आयोग की परिधि से बाहर किये जाने, 25. लोकायुक्त द्वारा सरकार को दी गयी रिपोर्ट को सार्वजनिक किये जाने।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
4.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. स्वर्गाश्रम लक्ष्मणझूला नीलकंठ महादेव, यमकेश्वर महादेव, महाबगढ़, भैरवगढ़ी नागदेवगढ़ी, वशिष्ठ आश्रम, कण्व आश्रम उत्तरांचल पर्यटन में शामिल कर विकसित किये जाने,
2. जनपद पौड़ी गढ़वाल के छः विकास खण्डों यमकेश्वर, द्वारीखाल (ढांगू) जहरीखाल, दुगड्डा, रिखणीखाल, नैनीडांडा को मिला कर एक अलग जनपद बनाये जाने,
3. उ0मा0 विद्यालय महादेव चट्टी पूर्व मा0 विद्यालय चोपड़ा, पू0मा0 विद्यालय बिन्द्रा (ग्वील) पू0मा0 विद्यालय माला का उच्चीकरण किये जाने,
4. विकास खण्ड द्वारीखाल एवं विकास खण्ड यमकेश्वर की पांच पट्टियों को मिलाकर एक अलग विकास खण्ड की स्थापना किये जाने,
5. ग्राम कुनाऊँ, कौडियां किमसार रोड ग्राम गंगा भोगपुर, चीला, पैदलमार्ग नीलकंठ, महादेव व समस्त गौहरीरेंज को राजाजी नेशनल पार्क की परिधि से हटाये जाने,
6. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत देवीखेत में महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
7. उप स्वास्थ्य केन्द्र भृगुखाल, उपस्वास्थ्य केन्द्र जसपुर, उपस्वास्थ्य केन्द्र सुमेरसैण उपस्वास्थ्य केन्द्र किनसुर, उपस्वास्थ्य केन्द्र पौखाल का उच्चीकरण किये जाने,
8. विकास खण्ड द्वारीखाल के डांडामडी व देवीखेत में तथा विकास खण्ड यमकेश्वर के भृगुखाल में मिनी स्टेडियम की स्थापना किये जाने,
9. फूलचट्टी से सिरांसू, माला सेरा व हरिद्वार बद्रीनाथ पैदल मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने,
10. कौड़िया किमसार रोड का सुधारीकरण, डामरीकरण किये जाने,
11. ह्यूवल नदी में फूलचट्टी के पास व नयार नदी पर एक-एक झूलापुल बनाये जाने,
12. नीलकंठ महादेव से लक्ष्मणझूला तक बाईपास मोटर मार्ग एवं एक रज्जु मार्ग बनाये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13. ह्यूवल नदी व नयारनदी पर छोटी-छोट जल विद्युत योजनाएं बनाये जाने, 14. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के दूरस्थ गांवों को सड़कों से जोड़े जाने, 15. ग्राम सभा जोंक व स्वर्गाश्रम लक्ष्मणझूला को नगर पंचायत बनाये जाने।
5.	श्री गोविन्द लाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. पिण्डर विधान सभा के अन्तर्गत बेदनी बुग्याल को रज्जु मार्ग से जोड़े जाने, 2. पिण्डर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ओली बुग्याल क्षेत्र को शीतकालीन हिम क्रीडा स्थल का निर्माण किये जाने, 3. जनपद चमोली के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूला गवनी का उच्चीकरण किये जाने, 4. जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल विकास खण्ड स्तर पर बालिका इण्टर कालेज खोले जाने, 5. जनपद चमोली के अन्तर्गत पिण्डर विधान सभा क्षेत्र के दूरस्थ ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़े जाने, 6. जनपद चमोली के अन्तर्गत नारायणबगड़ एवं देवाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण/विस्तारीकरण किये जाने, 7. जनपद चमोली के अन्तर्गत पिण्डर विधान सभा क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हाई स्कूलों का उच्चीकरण किये जाने, 8. जनपद चमोली के अन्तर्गत पिण्डर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कृषकों द्वारा उत्पादित आलू एवं माल्टा के लिए विपणन केन्द्र खोले जाने, 9. जनपद चमोली के अन्तर्गत पिण्डर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्रहम ताल मेफलताल, सुखताल एवं झलताल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
6.	श्रीमती आशा नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0 स्ना0 महाविद्यालय अगस्त्यमुनी को आदर्श महाविद्यालय बनाये जाने,
2. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत वि0ख0 ऊखीमठ में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने,
3. प्रसिद्ध धाम केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़े जाने,
4. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत वि0ख0 अगस्त्यमुनी एवं ऊखीमठ में उत्पादित होने वाले माल्टा, नीबू (फलों) एवं सब्जियों के विपणन की उचित व्यवस्था किये जाने,
5. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत स्थान विद्यापीठ में प्रस्तावित संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने,
6. प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देवरियाताल, वासुकीताल, चोपता, दुगलबिट्टा, नागताल इत्यादि का सौन्दर्यीकरण किये जाने,
7. प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तुंगनाथ, कार्तिक स्वामी को रज्जु मार्ग से जोड़े जाने,
8. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में महिला पौलीटेक्निक खोले जाने,
9. वि0ख0 अगस्त्यमुनी के स्थान बांसवाड़ा में मन्दाकिनी नदी पर झूलापुल का निर्माण किये जाने,
10. अगस्त्यमुनी में महिला हास्पिटल खोले जाने,
11. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत गुप्तकाशी, काण्डेई, दुर्गाधार मयकोटी में स्थित कन्या जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण किये जाने,
12. जनपद रूद्रप्रयाग में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के निर्माण तथा वि0ख0 ऊखीमठ के आपदा से प्रभावित परिवारों का विस्थापन किये जाने,
13. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत भेड़ प्रजनन केन्द्र चलीयाखोड़ (मक्कूमठ) फार्म को विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण किये जाने,
14. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊखीमठ का उच्चीकरण किये जाने,
15. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 पल्लब्राड़ी, रा0हाई स्कूल क्यूंजा, बावई जू0हाई0 स्कूल खतपतियाखाल, बाड़व व भौंसाल कुरझड़ तथा रांसी का उच्चीकरण किये जाने, 17. नव सृजित जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तल्ला नागपुर तथा वसुकेदार में नये वि0 खण्डों का सृजन किये जाने, 18. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मद्‌महेश्वर को मोटर मार्ग से जोड़े जाने, 19. नव सृजित जनपद रूद्रप्रयाग में सभी विभागों में नियुक्ति तथा कार्यालयों का निर्माण किये जाने, 20. गम्भीर पेयजल संकट से जूझ रहे जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तल्ला नागपुर क्षेत्र को अलकनन्दा लिफ्ट पम्पिंग पेयजल योजना से जोड़े जाने।
7.	श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण व विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून को समाप्त किये जाने, 2. ग्रामीण क्षेत्रों में भवनों, दुकानों के मानचित्र स्वीकृति का अधिकार पूर्व की भांति जिला पंचायतों ग्राम पंचायतों व शहरी क्षेत्र में नगर पंचायतों नगर निगम, नगर परिषदों को दिये जाने, 3. श्रीनगर गढ़वाल में मेडिकल कालेज जुलाई, 2005 में खोले जाने, 4. हल्द्वानी स्थित मेडिकल कालेज में शुल्क देश के अन्य राज्यों की भांति रू0 360 से 1200 रू0 के मध्य किये जाने, 5. 1988 में डाइमण्ड एण्ड जैम डवलपमैंट कारपोरेशन मुम्बई को लीज में दी गई भूमि की लीज समाप्त कर हल्द्वानी स्थित फोरेस्ट ट्रस्ट मेडिकल कालेज को दिये जाने, 6. उत्तरांचल के मेडिकल कालेज में प्रवेश अहर्ता देश के अन्य राज्यों की भांति राज्य के 10+2 परीक्षा व डोमिसाइल की अनिवार्यता किये जाने, 7. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अधूरे निर्मित मार्ग मोथरोंवाला दूधली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. हरिद्वार रोड देहरादून में सी0एम0आई0 अस्पताल से रिस्पना पुल तक सड़क के किनारे नाले का निर्माण किये जाने, 9. धर्मपुर चौक से पुलिस चौकी सहारनपुर वाई पास तक निर्माधीन मार्ग को शीघ्र पूर्ण किये जाने, 10. राजकीय महाविद्यालय डोईवाला के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषित रू0 25,000.000 की राशि शीघ्र अवमुक्त किये जाने, 11. मौहब्बनपुर (हरिद्वार मार्ग देहरादून) से नत्थनपुर होते हुए नेहरू ग्राम पोस्ट आफिस तक के मोटर मार्ग का पक्कीकरण किये जाने, 12. धर्मपुर नेहरू कालोनी होते हुए रायपुर की तरफ रायपुर नहर को अण्डर ग्राउण्ड कर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने, 13. मसूरी-देहरा विकास प्राधिकारण द्वारा अधिग्रहीत की जा रही भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किये जाने।
8.	श्री अनिल नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद चमोली में पूर्व स्वीकृत अपर शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक की नियुक्ति किये जाने, 2. जनपद चमोली के कालेश्वर में ट्रासपोर्ट नगर की स्थापना किये जाने, 3. जनपद चमोली के औद्योगिक क्षेत्र सिमली में शीघ्र सरकारी उद्योग लगाये जाने, 4. जनपद चमोली के भैरवगढी, फरसों, बेनीताल, को पर्यटक क्षेत्र घोषित किये जाने, 5. जनपद चमोली में गैरसैण-पज्याणा, आदिबद्री-भराडीसैण, गोचर-बरतोली-दुगड्डा, सकण्ड-चौरासैण, बिछोना मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने, 6. गौचर में मिनी स्टेडियम बनाये जाने, 7. चांदपुर गढी विकास खण्ड का निर्माण किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. जनपद चमोली के हरगड-बीना, घण्डियाल, फरकण्डे, कुनीगाड़ सिदौली, घण्डियाल, बिछेना में एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने, 9. जनपद चमोली में सिमली,नौली,दासमियागांव, कालीमाटी में झूला पुल का निर्माण किये जाने, 10. जनपद चमोली में रा0इ0मा0वि0 सलियाणा, नैल, बरतोली, नन्दासैण, लाटूरौर, कांसुवा का उच्चीकरण किये जाने, 11. जनपद चमोली में दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ सिमली की क्षमता बढ़ाने, 12. जनपद चमोली में सिमली-सेनू नहर निर्माण किये जाने, 13. जनपद चमोली के खनसर-कालीमाटी, सिमली में बाढ़ नियंत्रण किये जाने, 14. जनपद चमोली के पशु-प्रजनन केन्द्र भराड़ीसैण को विकसित किये जाने।
9.	श्री प्रकाश पन्त	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के समन्वित विकास हेतु स्थापित सीमान्त विकास प्राधिकरण की उपलब्धियों तथा किये गये विकास कार्यो, 2. राज्य में स्थापित हवाई पट्टियों नैनी-सैनी व गौचर में नियमित वायु सेवा प्रारम्भ करने, 3. जनपद पिथौरागढ़ में पूर्व घोषित कृत्रिम झील (रई) स्थापित करने में हुयी प्रगति के सम्बन्ध में, 4. मार्च 2002 से पूर्व निर्माणाधीन समस्त मोटर मार्ग हल्का वाहन मार्गो की प्रगति के सम्बन्ध में, 5. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु मोटर मार्ग, चिकित्सालय, विद्यालयों के निर्माण हेतु विधायकों से संस्तुतियां प्राप्त करने, 6. जनपद पिथौरागढ़ में नवीन मोटर मार्गो के निर्माण, डामरीकरण तथा पुलों के निर्माण किये जाने, 7. जनपद पिथौरागढ़ में नये हाईस्कूल व इन्टरमीडिएट खोलने।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
10.	काजी निजामुद्दीन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल राज्य की सीमा का विस्तार सहारनपुर मण्डल एवं जनपद बिजनौर तक किये जाने, 2. उत्तरांचल राज्य में शिक्षा के लिए मूल निवास प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने, 3. मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने, 4. राज्य में पेराई सन् 2004-2005 में गन्ने का मूल्य 150 रू0 प्रति कुन्तल किये जाने, 5. राज्य में पड़ने वाली समस्त सिंचाई प्रोजेक्ट्स पर उत्तरांचल राज्य का स्वामित्व होने, 6. यूकेलिपटेस के कटान से रखना समाप्त किये जाने, 7. राज्य के 35 वर्ष तक की आयु के समस्त स्नातकों एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने, 8. अल्प संख्यक, दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति दोगुना किये जाने, 9. राज्य के अरबी एवं फारसी मदरसे एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा वेतनमान दिये जाने, 10. राज्य में दलित वर्ग के लोगों को दिए गए पट्टे पर स्थायी स्वामित्व प्रदान किये जाने, 11. राज्य के खेती में प्रयोग होने वाले नलकूपों पर बकाया बिलों पर सरचार्ज समाप्त किये जाने, 12. राज्य की सीमाओं पर स्थित व्यापार कर चौकियों पर यातायात सुचारू रखने के लिए सड़क चौड़ी किये जाने, 13. मण्डी परिषद् द्वारा 1969 में लागू मण्डी शुल्क एवं मजदूरी दर को पुर्नवीक्षित करने, 14. उत्तर प्रदेश की भांति उत्तरांचल राज्य में गुड़ को व्यापार कर से मुक्त करने, 15. पर्यटक राज्य होने के कारण प्रदेश के सभी मार्गों पर पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखकर समाप्त किये जाने, 16. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत कस्बा मंगलौर में हाईस्कूल एवं कन्या इन्टर कालेज की स्थापना किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत कस्बा मंगलौर में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने, 18. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत कस्बा मंगलौर में परिवहन डिपो की स्थापना किये जाने, 19. राज्य के पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने, 20. पत्रकार कल्याण कोष की भांति सामुहिक बीमा योजना की सुविधा प्रदान करने।
11.	श्री मदन कौशिक	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के उपाय किये जाने, 2. बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ठोस कार्य योजना बनाये जाने, 3. प्रदेश में चकबन्दी को समाप्त किये जाने, 4. उत्तरांचल में किसानों को गन्ने का उचित मूल्य एवं भुगतान की योजना बनाये जाने, 5. स्थायी निवास प्रमाण पत्र को सरलता से दिलाये जाने, 6. प्रदेश के शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण की नीति को पारदर्शी बनाने, 7. प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने, 8. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र मे कन्या सांईस डिग्री कालेज खोलने, 9. हरिद्वार में आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने, 10. हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने, 11. उत्तरांचल राज्य में वैट लागू न करने, 12. प्रदेश में माओवादियों व अन्य आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने, 13. उत्तरांचल में विधायकों हेतु विधायक निधि 1 करोड़ किये जाने, 14. उत्तरांचल में पर्यावरण हेतु कार्य योजना बनाये जाने, 15. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार में एल0एल0बी0 की कक्षायें खोलने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने, 17. हरिद्वार जनपद के बहादराबाद, सुल्तानपुर, भगवानपुर, शिवालिक नगर नारसन को नगर पंचायत बनाये जाने, 18. उत्तरांचल में रुड़की को अलग जिला बनाये जाने, 19. उत्तरांचल में हरिद्वार को कमिश्नरी बनाये जाने, 20. उत्तरांचल में संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति किये जाने, 21. राज्य में गौरक्षा आयोग के गठन किये जाने, 22. उत्तरांचल में हरिद्वार को नगर निगम बनाये जाने, 23. हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने, 24. राज्य में हरिद्वार में लगने वाले कावड मेले सहित अन्य मेलों का नोटिफिकेशन पर धन देने की व्यवस्था करने, 25. हरिद्वार के अन्तर्गत ज्वालापुर में बस स्टैण्ड बनाये जाने, 26. उत्तरांचल के संस्कृत विद्यालयों को पंचम् वेतनमान दिये जाने, 27. प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने, 28. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी हेतु ज्वालापुर इण्टर कालेज एवं इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, मध्य हरिद्वार में ट्यूबवैल लगाने, 29. हरिद्वार में शेष सीवरेज का निर्माण किये जाने, 30. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र के लाटोवाली में नाले के निर्माण करने, 31. हरिद्वार को हवाई मार्ग से जोड़ने, 32. हरिद्वार में आऊटर रिंग रोड बनाये जाने, 33. भ्रष्टाचार एवं घोटालों पर पाबन्दी लगाने की कार्ययोजना बनाने, 34. प्रदेश में बिजली की व्यवस्था ठीक करने, 35. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास की कार्ययोजना बनाये जाने, 36. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन की प्रवृत्ति रोकने, 37. हरिद्वार में शिक्षा को बढ़ाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने, 38. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत ज्वालापुर में चिकित्सालय को उच्चीकृत किये जाने, 39. हरिद्वार में जिला लाइब्रेरी की स्थापना करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		40. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में कार्यरत डिमोस्ट्रेटर पद धारक शिक्षकों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली की संस्तुतियां के आधार पर प्रवक्ता पद नामित करने, 41. प्रदेश के अशासकीय जू0हा0 स्कूलों को बिना भेदभाव एक समान नीति बनाकर अनुदान देने, 42. हरिद्वार की ऋषिकुल विद्यापीठ में कोई परिवर्तन न करने एवं उसमें संचालित संस्कृत विद्यालय की दशा सुधारने, 43. हरिद्वार स्पोर्टस स्टेडियम की स्थापना करने।
12.	श्री कैलाश शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद अल्मोड़ा में मेडिकल कालेज की स्वीकृति दिये जाने, 2. जनपद अल्मोड़ा में सेराघाट सरयू नदी से अल्मोड़ा नगर एवं निकटवर्ती ग्राम पंचायतों हेतु पेयजल योजना निर्माण किये जाने, 3. जनपद अल्मोड़ा हवालबाग में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह निर्माण की स्वीकृति दिये जाने, 4. जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा में ल्वेशाल से उन्यूड़ा मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने, 5. जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा विशौद में राजकीय ऐलोपैथिक अस्पताल के निर्माण किये जाने, 6. जनपद अल्मोड़ा के भैंसियाछाना विकास खण्ड में आई0टी0आई0 की स्वीकृति प्रदान किये जाने, 7. जनपद अल्मोड़ा के भैंसियाछाना में स्टेडियम निर्माण किये जाने, 8. जनपद अल्मोड़ा के लमगडा के राजकीय पालिटेक्निक की स्वीकृति दिये जाने, 9. जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में जूनियर हाईस्कूल बल्टा के उच्चीकरण किये जाने, 10. जनपद अल्मोड़ा नगर में नये बालिका एवं बालक राजकीय इण्टर कालेजों की स्वीकृति दिये जाने, 11. जनपद अल्मोड़ा नगर में टैक्सी स्टैण्ड की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12. जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में ममरछीना कसून मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने, 13. जनपद अल्मोड़ा के भैसियाछाना में नौ गांव, कुनखेत में पैदल पुल निर्माण किये जाने, 14. जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में महतगांव स्यूरा बर्शिमी मोटर मार्ग निर्माण किये जाने, 15. जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा विसौद पट्टी उल्यूड़ा में डिग्री कालेज की स्वीकृति दिये जाने, 16. जनपद अल्मोड़ा के भैसियाछाना में महिला डिग्री कालेज की स्वीकृति प्रदान किये जाने, 17. जनपद अल्मोड़ा लमगड़ा के उल्यूड़ा स्यूणसीमा में फड़का नदी पर हाईड्रम योजना बनाये जाने, 18. जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा में बुसौड़ी के तोक भेड़ागांव में हाईड्रम योजना बनाये जाने, 19. जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में राजीव नवोदय विद्यालय की स्थापना किये जाने, 20. जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग बसोली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने, 21. जनपद अल्मोड़ा के सितलाखेत, कसारदेवी, लमगड़ा, जलना, को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने, 22. जनपद अल्मोड़ा के पपरसैली, भुल्यूड़ा बिन्तोला मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने।
13.	श्री प्रीतम सिंह पंवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति (निर्माण) के लिए 10 वर्षों से अधिक समय तक आन्दोलन करने वाले आन्दोलनकारियों को जेल जाने व घायल आन्दोलनकारियों की भांति सुविधायें प्रदान करने, 2. उत्तरांचल राज्य की स्थाई राजधानी घोषित करने, 3. उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए अलग से रियायत देने, 4. उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में टैक्सी/वाहन परमिट प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों को समाप्त करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5. उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों सहित चिकित्सा शिविर एवं मोबाइल चिकित्सा वाहन के जरिए निश्चित तिथियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, 6. उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों से बहने वाली छोटी-बड़ी नदियों के किनारे बसे गांवों को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिफ्ट योजनाओं का निर्माण करने, 7. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों व घायलों को पूरे राज्य में अलग-अलग सहायता उपलब्ध कराये जाने के बजाय एक समान सहायता देने, 8. उत्तरांचल के सीमान्त जनपदों में निवास करने वाले बाहरी व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन व परिचय पत्र जारी करने, 9. राज्य में लोक सभा व विधान सभा क्षेत्रों के पुनर्परिसीमन के बजाय पूर्व में किए गए परिसीमन को यथावत रखने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश भेजे जाने, 10. राज्य के खर्च में कटौती के लिए सरकारी कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह करने, 11. औषधीय गुणों से परिपूर्ण राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य फसलों व फलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने, 12. प्रदेश के चार धामों यथा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ के विकास के लिए पृथक से बजट में प्राविधान करने, 13. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्थित धार्मिक, पर्यटक स्थलों व पौराणिक मन्दिरों को चिन्हित कर उनके विकास व संरक्षण के लिए कार्ययोजना बनाने, 14. निर्माणाधीन हवाई पट्टियों का कार्य पूर्ण कर इसी वर्ष से चालू करने, 15. पर्यटन को बढ़ावा देने एवं संस्कृति संरक्षण के लिए आयोजित होने वाले मेलों/त्याहारों को एक समान अनुदान देने, 16. प्रदेश के बुग्याल क्षेत्रों में वन गुजरों द्वारा चराए जाने वाले पशुओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने, 17. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने के जनसंख्या मानकों में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मानकों में छूट देने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18. देश की सीमाओं में शहीद होने वाले सैनिकों के स्मारक जनपद मुख्यालय में बनाने एवं स्कूलों व सड़कों के नाम उनकी स्मृति में रखने,
		19. जनपद उत्तरकाशी के दिवारीखोल में राजीव नवोदय विद्यालय इसी वर्ष से प्रारम्भ करने,
		20. सीमांत जनपद उत्तरकाशी में खेल विद्यालय खोले जाने,
		21. राजकीय महाविद्यालय चिन्याली सौड़ के लिए कृषि विभाग की चिन्याली सौड़ स्थित बंजर भूमि को स्थानान्तरित करने,
		22. ग्राम स्तर पर खेल मैदान निर्माण करने,
		23. राजकीय महाविद्यालय चिन्याली सौड़, बड़कोट व पुरोला में प्रवक्ताओं व प्राचार्य के रिक्त पदों को भरने,
		24. जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने,
		25. जनपद उत्तरकाशी स्थित जोगत स्लिप जोन का उपचार कर वर्षों से बंद पड़ी सड़क को खोलने,
		26. बड़कोट जनपद उत्तरकाशी में भू-स्खलन व जमीन धंसने की घटना को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने,
		27. जनपद उत्तरकाशी के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक व फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों को भरने,
		28. चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी) में स्वीकृत तहसील को खोले जाने,
		29. प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने,
		30. आपदा को रोकने के लिए छोटी-बड़ी नदियों के किनारे निर्धारित सीमा तक भवन निर्माण पर रोक लगाने,
		31. मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत जूनियर हाई स्कूल कामदा व चमियारी जनपद उत्तरकाशी का हाईस्कूल स्तर पर तथा हाईस्कूल कोठ्यार (गमरी) व बर्नीगाड जनपद उत्तरकाशी का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण को इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति देने व कक्षाएं प्रारम्भ करने,
		32. जनपद उत्तरकाशी के जूनियर हाई स्कूल मणी, दिवली, बधाणगांव, कांसी, कण्डई, जेष्टवाड़ी, तराकोट, गढ व गातू का हाई स्कूल स्तर पर तथा हाई स्कूल कण्डारी, जुणगा, मंजगांव, घटवालधार का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		33. जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मुख्यालय नौगांव में बालिका हाई स्कूल तथा चिन्याली सौड़ में बालिका इण्टरमीडिएट स्कूल खोलने,
		34. पानी के संरक्षण व उपयोग के लिए जल नीति बनाने,
		35. जनपद उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती गांवों को जोड़ने के लिए चामी-सिंगुणी से नौगांव गोडर, मातू से मोलागांव, सिमलसारी से गैर (मन्ना), सिमलसारी से दारसौं(ठेलिंका), विला नौगांव से जरडा होते हुए धारी (कलोगी), नालूपानी-पटारा से सिल्क्यारा, धरासू-जसपुर, चिन्याली सौड़ से कोट (बागी), जोगत-लम्बगांव मोटर मार्गों की स्वीकृति व निर्माण करने,
		36. पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण के लिए दूरी पर आधारित दरें बनाने,
		37. देहरादून से जोगत (उत्तरकाशी), देहरादून से बनचौरा होते हुए उत्तरकाशी व देहरादून से पिपली, धनारी, फोल्ड होते हुए उत्तरकाशी के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम की बसे नियमित चलाने,
		38. धार्मिक स्थल नीलकंठ, यमुनोत्री व केदारनाथ के लिए रज्जू मार्गों का निर्माण करने,
		39. यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ (चार धामों) के लिए प्रस्तावित "चार धाम विकास एकीकृत अधिनियम" में अनादिकाल से चली आ रही पूजा व्यवस्था में लगे पंडा-पुरोहितों के हक हकूकों को सुरक्षित रखने,
		40. यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गोडर, खाटल, गीठ व वजरी पट्टियों के उन प्राथमिक विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण तथा अल्प अवधि में क्षतिग्रस्त उक्त विद्यालय भवनों के तथाकथित घटिया निर्माण कार्यों की जाँचकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने,
		41. उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में भेषज विकास अधिकारी (प्रशिक्षित) नियुक्त करने,
		42. प्रदेश में मृदा परीक्षण की सुविधा न्याय पंचायत स्तर में देने,
		43. राज्य में श्रम संविदा सहकारी समितियों को 10 लाख तक के निर्माण कार्य सीधे आवंटित करने,
		44. विकासनगर-यमुनोत्री मोटर के क्षतिग्रस्त हिस्से (डाकपत्थर से यमुना पुल) के मरम्मत करने,

क्रं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		45. जनपद उत्तरकाशी के उन गांवों में जहाँ वर्षों से विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हैं मरम्मत कर विद्युत आपूर्ति इसी वर्ष बहाल करने,
		46. विस्थापन की समस्या से बचने के लिए बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के बजाय लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण करने तथा परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को शत-प्रतिशत रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था करने,
		47. प्रदेश में स्थापित होने वाले छोटे-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रदेश के ही शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार नियुक्त किये जाने,
		48. जनपद उत्तरकाशी के अध्यापक विहीन व शिक्षा मित्रों के भरोसे चलने वाले प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती करने एवम् भवन विहीन विद्यालयों के भवन निर्माण करने,
		49. नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने,
		50. प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों व बोतलों के प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने,
		51. जनपद उत्तरकाशी में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना करने,
		52. राज्य के पर्वतीय जनपदों में भी उद्योगों की स्थापना करने,
		53. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में बी0एड0 एवं एल0एल0बी0 के साथ-साथ पर्यटन व संचार की कक्षायें संचालित करने,
		54. जनपद उत्तरकाशी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्यालीसौड़ का उच्चीकरण करने,
		55. विधायक क्षेत्र विकास निधि के मानकों में संशोधन करने,
		56. सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत राज्य के सुदूरवर्ती गांवों में के0यू0 बैण्ड सैटेलाईट वितरण का लक्ष्य निर्धारित करने,
		57. जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत त्रासदी में बेघरबार हुए लोगों को पुनर्वासित करने,
		58. पाला-मनेरी, लोहारी नाग पाला जल विद्युत परियोजनाओं में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के भूमिधरों को परियोजना में नौकरी दिए जाने,
		59. यमुनोत्री धाम में हुए भूस्खलन से हुई क्षति का ट्रीटमेन्ट करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		60. राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, बुग्यालों का विकास करने, 61. जनपद उत्तरकाशी के नौगांव से स्योरी (सेब पट्टी) हेतु रोपवे निर्माण किये जाने, 62. जनपद टिहरी गढ़वाल के अर्न्तत विकास खण्ड फकोट (नरेन्द्र नगर) में आगर, भेंग्राकी आदि चार-पांच गांवों के ऊपर विछाई जाने वाली पावर ग्रिड की हाईटेन्शन लाइन को स्थानान्तरित करने अथवा प्रभावित गांवों को पुनर्वासित करने, 63. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को जड़ी-बूटी उत्पादन करने के लिए सरकारी खाली जमीन पट्टे पर उपलब्ध कराने, 64. फलों, सब्जियों इत्यादि के विपणन के लिए प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालयों में मिनी मण्डियों की स्थापना करने, 65. यमुनोत्री मन्दिर शीतकाल में बंद होने पर यमुना जी के दर्शन खरसाली में करने हेतु व्यवस्था करने, 66. प्रदेश में शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्रों एवं शिक्षाचार्यों को नियमित करने, 67. प्रदेश में आन्दोलित विद्युत अप्रैन्टिसों को ऊर्जा विभाग में सेवायोजित करने, 68. जनपद उत्तरकाशी में पूर्णकालिक क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी की तैनाती करने, 69. उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद मुख्यालयों हेतु देहरादून से राज्य पथ परिवहन निगम की दो-दो डीलक्स बसें संचालित करने, 70. मनेरी भाली परियोजना प्रथम चरण में तिलोथ पावर हाऊस उत्तरकाशी के लिए अधिग्रहीत की गयी भूमि के भूमिधरों को सेवायोजित किए जाने सम्बन्धी समझौते के अनुपालन करने, 71. राजस्व पटवारियों को पुलिस निरीक्षक के समान सुविधायें दिए जाने, 72. देहरादून से हर्षिल धराली तक राज्य पथ परिवहन निगम की प्रत्येक दिवस एक बस संचालित करने, 73. जनपद उत्तरकाशी के डोडीताल, नचिकेताताल, हरकीदून तथा टिहरी जनपद के सहस्त्रताल जाने हेतु सुदृढ ट्रेकमार्गों तथा विश्रामालयों का निर्माण करने, 74. वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया में लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराने, 75. युवाओं के समग्र विकास के लिए राज्य युवा नीति घोषित करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		76. राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत थातियों, मेलों, त्योहारों, धार्मिक उत्सवों, कलाओं, विधाओं को संरक्षित रखने के लिए कार्य योजना बनाने, 77. जनपद उत्तरकाशी के वार्सू एवं रैथल में स्थित जड़ी-बूटी नर्सरियों को सुदृढ़/परिष्कृत करने, 78. रंवाल्टा/जौनपुरी समुदाय की भांति थत्युड़ (जौनपुर) विकास खण्ड के अवशेष भाग सकलाना पट्टी को भी पिछड़ा क्षेत्र में सम्मिलित करने, 79. चम्बा, जड़ीपानी, काणाताल-धनोल्टी को नवीन तकनीकी रूप से फलपट्टी विकसित करने, 80. राजकीय पौलीटेक्निक उत्तरकाशी में फार्मेसी पाठ्यक्रम पुनः संचालित करने, 81. जनपद उत्तरकाशी में मेडिकल कालेज तथा जड़ी-बूटी शोध संस्थान की स्थापना करने।
14.	श्री अजय भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, 2. उत्तरांचल की महिलाओं के उत्थान हेतु योजना बनाये जाने, 3. उत्तरांचल के विजिटिंग फैकल्टी, शिक्षक बन्धु एवं शिक्षक मित्रों को नियमित किये जाने, 4. उत्तरांचल लो0नि0वि0 एवं जल संस्थान के दैनिक भोगी एवं तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किये जाने, 5. उत्तरांचल की प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों को मानदेय दिये जाने, 6. उत्तरांचल की गम्भीर पेयजल समस्याओं के निराकरण हेतु लिफ्ट पम्पिंग योजनाओं को स्वीकृत किये जाने, 7. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 25-25 हैण्ड पम्प (रिंग बोरिंग) दिये जाने, 8. प्राथमिक स्कूलों में दिन के भोजन दिये जाने में हो रही असुविधाओं, 9. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बनाये जा रहे प्राथमिक विद्यालय एवं जू0हा0 के घटिया भवनों के निर्माण, 10. अल्मोड़ा जिले के कोसी-शेर पम्पिंग योजना के निर्माण,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11. अल्मोड़ा जिले में गगास-चिलियानौला पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण, 12. अल्मोड़ा जिले में राम गंगा-चमडखान पम्पिंग योजना के निर्माण, 13. अल्मोड़ा जिले के तहसील रानीखेत के ग्राम खनिया की छोटी पम्पिंग पेयजल के निर्माण, 14. अल्मोड़ा जिले के वि0ख0 ताड़ीखेत में स्वीकृत रुमा-बजीना पेयजल योजना का आज तक कार्य प्रारम्भ न होने, 15. रानीखेत-चौबटिया रोप-वे बनाये जाने, 16. अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नगर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए एक कन्या इण्टर कालेज एवं एक राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने, 17. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत-पन्तकोटली मोटर मार्ग के चौड़ीकरण किये जाने, 18. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कालिका-दलमोटी सड़क लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित किये जाने, 19. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत-एरोड़ मंचौड़ा, मकणु-पीपलटाना मोटर मार्ग में शीघ्र कार्य प्रारम्भ किये जाने, 20. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वारसो-काकड़ी घाट, द्वारसो-शीतलाखेत, सौनी-देवलीखेत ड्योडाखाल, चौबटिया-कुनेलाखेत-बमस्यूँ, ताड़ीखेत-पीपली मज्यूरखान, गनियाद्योली-सिगोली-अन्याड़ी एवं गनियाद्योली-टाना-बिशालकोट सड़कों के डामरीकरण किये जाने, 21. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वारसो-काकड़ी घाट सड़क का कार्य प्रारम्भ कराने, 22. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत बलना-गगास स्वीकृत सड़कों का एवं दड़माड़ पुल का कार्य प्रारम्भ करने, 23. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत काकड़ी घाट-शीतलाखेत के शेष अपूर्ण भाग की स्वीकृति प्रदान किये जाने, 24. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खिरखेत-कारचूली स्वीकृत सड़क का निर्माण प्रारम्भ करने, 25. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ज्यूड़ा-गनेल से सिलोर महादेव तक स्वीकृत सड़क का निर्माण प्रारम्भ करने, 26. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-पीपली-मज्यूरखान स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		27. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गनियाधोली-दना-बिशालकोट की स्वीकृत सड़क का कार्य प्रारम्भ करने, 28. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत इयाडाखाल से पस्तोड़ा-बधिया-चमड़खान सड़क का कार्य प्रारम्भ किये जाने, 29. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खैरना से ज्याड़ी-बोहरागांव पोखरी स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने, 30. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत भुजान-चापड़-बिल्लेख स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने, 31. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उप्राडी-शिलंगी स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने, 32. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सिरोली बैण्ड से बेड़गांव तक स्वीकृत एक किमी0 सड़क का कार्य प्रारम्भ किये जाने, 33. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-थकुलाड़ी-बैना-मटेला मनिहार स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने, 34. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-पथुली-मण्डलकोट स्वीकृत सड़को का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने, 35. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मजखाली-दिगोटी-दुगौड़ा मोटर मार्ग की स्वीकृति दिये जाने, 36. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को मध्य-नजर रखते हुए जिले के मजखाली क्षेत्र में वि0ख0 की स्थापना किये जाने, 37. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति के मध्य-नजर रखते हुए अल्मोड़ा जिले के जालली क्षेत्र को वि0ख0 घोषित किये जाने, 38. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को मध्य-नजर रखते हुए जिले के मछोड़ क्षेत्र को विकास खण्ड का दर्जा दिये जाने, 39. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रदान किये जाने, 40. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल रानीखेत के रिक्त पड़े चिकित्सकों के पद पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने, 41. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल रानीखेत को एक रैफरल हास्पिटल के रूप में विस्तारित किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		42. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौबटिया (रानीखेत) स्थित उद्यान निदेशालय की रिसर्च शाखा से चतुर्थ एवं तृतीय के कर्मचारियों को नियम विरूद्ध जिले एवं मण्डल से बाहर किये गये स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किये जाने,
		43. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के खिरखेत पर 06 बिस्तरों का एक चिकित्सालय खोलने,
		44. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के डोल की धार में 6 बिस्तरों का एक अस्पताल खोलने,
		45. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के बग्वान नामक स्थान में 6 बिस्तरों का एक अस्पताल खोलने,
		46. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत क्षेत्र में गौ-वंश सुरक्षा हेतु एक गौशाला खोलने,
		47. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत छावनी परिषद रानीखेत के सिविल एरिया को नगरपालिका बनाने,
		48. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत को जिला बनाने,
		49. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र शासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य के समान करने हेतु,
		50. अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत में उत्तरांचल परिवहन निगम के डिपो का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने,
		51. उत्तरांचल के डिग्री कालेजों में अध्यापकों की शीघ्र पूर्ति करने,
		52. राज्य में राजस्व अमीनों को नियमित करने,
		53. उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग में अमीनों की नियुक्ति करने,
		54. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वि0ख0 ताड़ीखेत के राजस्व ग्राम पपना को पृथक ग्राम सभा के रूप में मान्यता प्रदान करने,
		55. उत्तरांचल में खोली गयी नई तहसीलों एवं उप तहसीलों में एस0डी0एम0, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार समेत पूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति करने,
		56. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत तहसील के अन्तर्गत खैरना-ज्याड़ी सड़क स्वीकृत करने,
		57. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत तहसील के अन्तर्गत गनियाद्योली-विश्वा डोबा-पाली-जखोली सड़क स्वीकृत करने।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
15.	श्री नारायण पाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उधमसिंह नगर जिले के ब्लाक सितारगंज में अगस्त, 2004 में भीषण बाढ़ से दर्जनों जनहानि, सैकड़ों पशुहानि, हजारों लोग बेघर, हजारों एकड़ कृषि भूमि के नुकसान होने आवागमन व संचार व्यवस्था के वंछित होने के फलस्वरूप आर्थिक मुआवजा दिये जाने, 2. राज्य की स्थायी राजधानी बनाये जाने, 3. उत्तरांचल में नये जिले जैसे खटीमा, काशीपुर बनाने की स्वीकृति तथा सितारगंज को परगना घोषित करने, 4. राज्य के उधमसिंह नगर जिले में सितारगंज औद्योगिक एरिया को अविलम्ब बनाये जाने, 5. उत्तरांचल में बंगाली समाज के नमोःशूद्र, मांजी, पौढ को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने, 6. प्रदेश के थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, बंगाली, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं सर्व समाज का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान किये जाने, 7. उत्तरांचल राज्य में उद्योग नीति की पुनः स्थापना एवं उनको सुचारू रूप से चलाने हेतु उद्योग नीति को सरलीकरण किये जाने।
16.	डॉ0 यशवीर सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल राज्य के विस्तार हेतु कृत कार्यवाही किये जाने, 2. उत्तरांचल में सुदृढ राजस्व व्यवस्था किये जाने, 3. उत्तरांचल में लघु विद्युत परियोजनाएँ निर्मित किये जाने, 4. बेरोजगारी दूर करने हेतु नियोजन किये जाने, 5. राज्य में औद्योगिक नीति में संशोधन किये जाने, 6. राज्य में फल पट्टी विकसित करने हेतु कृत कार्यवाही किये जाने, 7. गन्ना किसानों का कमांड एरिया बढाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
17.	श्री प्रेमानन्द महाजन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में मसीत-सैकनियां मोटर मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
2. जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में आनन्दखेड़ा-महेशपुर मोटर मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
3. जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में गदरपुर-करतारपुर मोटर मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
4. जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में खानपुर पश्चिम मोटर मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
5. जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में दुर्गापुर-धीमरी ब्लाक मोटर मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
6. जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में रायपुर-बिन्दुखेड़ा- नेशनल हाई-वे 74 मोटर मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
7. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में कन्या हाईस्कूल दिनेशपुर का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किए जाने,
8. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में कन्या जूनियर हाईस्कूल हरिदासपुर को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किए जाने,
9. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में जूनियर हाईस्कूल जगदीशपुर को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकृत किए जाने,
10. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में दिनेशपुर में मण्डी की स्थापना किए जाने,
11. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र दिनेशपुर का उच्चीकरण किए जाने,
12. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में मण्डी परिषद द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में स्थानीय विधायक की संस्तुति लिए जाने,
13. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में दिनेशपुर थाने की स्थापना किए जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14.जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में हरिपुरा एवं बौर जलाशयों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कराये जाने, 15.जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में गदरपुर आई0टी0आई0 का भवन निर्माण किए जाने,
18.	श्री मालचन्द	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के मोरी में नैटवाड़ वदाऊं वागी-सालरा देई मौताड़ आदि बाढ़ पीड़ितों को विस्थापित किये जाने, 2. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला वि.स. क्षेत्र में मटर, चौलाई, आदि फसल को औलों से होने वाले नुकसान का उचित मुआवज़ा दिये जाने, 3. उत्तरांचल में भेड़ पालकों को चारागाह चुगान के लिए परमिट दिये जाने, 4. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला में मोरी-भान्सू सरांश सड़क बनाने, 5. जनपद उत्तरकाशी में आराकोट दुनजा सड़क बनाये जाने, 6. जनपद उत्तरकाशी में पौंल्टी पुल बनाये जाने, 7. जनपद उत्तरकाशी में राजगढ़ी सरनोल सड़क का डामरीकरण किये जाने, 8. जनपद उत्तरकाशी में झूलापुल चपराड़ी का निर्माण किये जाने, 9. जनपद उत्तरकाशी में गंगाड़ पुल बनाये जाने, 10.जनपद उत्तरकाशी में पर्यटक स्थल केदार काण्ठा एवं चागसीठा के लिए पैदल मार्गों का सौन्दर्यीकरण किये जाने, 11.उत्तरांचल की तहसीलों में स्टाफ नियुक्त किये जाने, 12.जनपद उत्तरकाशी में शाकरी-हरकीदून मार्ग बनाये जाने, 13.देहरादून से राजगढ़ी, गंगराड़ी, आराकोट, जखोल, शाकरी-रोडवेज़ बस सेवा शुरू किये जाने, 14.जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रोडवेज बस अड्डा पुरोला में बनाये जाने, 16. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बड़कोट में हवाई पट्टी बनाये जाने, 17. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों को बनाये जाने, 18. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बड़कोट में झूलापुल बनाये जाने, 19. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गंगताड़ी से चाड़गांव तक सड़क बनाये जाने, 20. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मुलाना में झूलापुल बनाये जाने, 21. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मौटी-शाकरी सड़क बनाये जाने, 22. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला मोरी में स्टेडियम बनाये जाने, 23. जनपद उत्तरकाशी के पर्यटक स्थलों को सड़कों से जोड़े जाने, 24. उत्तरांचल में नगदी फसलों के लिए छोटी मण्डियाँ बनाये जाने, 25. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गंगराड़ी, चटाणू आदि में ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने, 26. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गंडगाड छरसाई इण्टर कालेज खोले जाने, 27. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा हेतु रोप-वे नैनीताल की तर्ज पर बनाए जाने।
19.	श्री अरविन्द पाण्डे	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद उधमसिंह नगर में जसपुर से लेकर खटीमा तक की वर्ग-4 की भूमि का किसानों के नाम नियमितीकरण किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2. जनपद उधमसिंह नगर में चीनी मिल, बाजपुर के कर्मचारियों की वर्षों से लम्बित चतुर्थ व पंचम वेतनमान की मांग लागू किये जाने, 3. उत्तरांचल में चीनी मिल कर्मचारियों की पी.आई.बी. समाप्त हो जाने से प्रभावित कर्मचारियों की दयनीय स्थिति के बारे में, 4. उत्तरांचल की चीनी मिल बाजपुर, गदरपुर, नादेही, सितारगंज, किच्छा आदि मिलों में मृतक आश्रितों के नियोजन किये जाने, 5. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत चकरपुर, खमरियां, लखनपुर, बाँसखेड़ी, महोली जंगल, बन्ना खेड़ा, गोबरा गजरौला, सिहाली, बेरियाँ दोलत, रामनगर गाँव, रामपुराकांजी, केलाखेला, सरकड़ी रोड, गणेशपुर रोड, शौका नंगला, धनसारा रोड, विजयनगलियाँ रोड व गडरी नदी पर पुल निर्माण, फौजी कालोनी रोड का निर्माण किये जाने, 6. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत बरैहनी, बेरियाँ दोलत, स्कूलों को उच्चीकरण किये जाने, 7. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत हरिपुरा हरसान इण्टर कालेज को 4 एकड़ भूमि वन विभाग से विद्यालय के नाम तथा फर्नीचर आदि की समस्या के निदान किये जाने, 8. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती को रोकने, 9. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत बिजपुरी प्रस्तावित इंटरकालेज की भूमि से अवैध कब्जा हटाने, 10. जनपद उधमसिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आर्टिजन की आवश्यकता तथा खेतों की सिंचाई किये जाने, 11. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर क्षेत्र की विभिन्न नदियों तथा नहरों में अवैध खनन रोकने,
19.	श्री हरिदास	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों जो बी.पी.एल. कार्ड से लाभान्वित नहीं हुए हैं, उनके बी.पी.एल. कार्ड बनवाये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2. प्रदेश के दुर्गम एवं अतिदुर्गम क्षेत्रों में महिला चिकित्सालय खोले जाने, 3. प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु उपाय किये जाने, 4. भ्रष्टाचार एवं घोटालों पर पाबन्दी लगाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने, 5. प्रदेश के बेरोज़गारों को रोज़गार देने हेतु रोज़गार परक योजना बनाये जाने, 6. प्रदेश में दलित उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास किये जाने, 7. उत्तरांचल में अफसरशाही पर अंकुश लगाने का ठोस प्रयास किये जाने, 8. उत्तरांचल में अनुसूचित जाति जनजाति, के आर्थिक विकास की कार्य योजना बनाये जाने, 9. खनन नीति एवं आबकारी नीति को संशोधित कर राजस्व को बढ़ाये जाने, 10. उत्तरांचल में पैट्रोल डीज़ल पर लगाये गये अतिरिक्त कर को हटाये जाने, 11. उत्तरांचल में प्राथमिक विद्यालयों एवम जूनियर हाईस्कूलों में जिले के अध्यापकों की जिले में तैनाती किये जाने, 12. प्रदेश में विकास कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाये जाने, 13. प्रत्येक गम्भीर पेयजल संकट वाले गांवों में पेयजल की सुविधा दिलाये जाने, 14. विश्व प्रसिद्ध (दरगाह) पिरान कलियर मेले को कुम्भ मेले की भाँति आयोजित कराने।
19.	मौ0 सहजाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. हरिद्वार जनपद में सरकार द्वारा कोई भूमि अधिग्रहण न किये जाने, 2. उत्तरांचल के प्रत्येक विधान सभा में 50-50 हैण्डपम्प लगाये जाने, 3. जनपद हरिद्वार की नदी काशराल पर पुल बनवाये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4. गन्ना किसानों को गन्ना, उपज का प्रति कुन्तल 200 (दो सौ रूपये) दिये जाने,
20.	डा0 नारायण सिंह जंतवाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. खटीमा, मसूरी एवं मुजफ्फरनगर सहित राज्य आन्दोलनकारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने, 2. केन्द्रीय करों से राज्य को विशेष अनुदान देने, 3. तालुका जनपद नैनीताल हिमालयी संस्कृति पर आधारित संग्रहालय बनाये जाने, 4. डा0 सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज हल्द्वानी में मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी अनियमितताओं को दूर करने, 5. वन विभाग का पुनर्गठन तथा विचाराधीन पुनर्गठन प्रस्ताव में नैनीताल स्थित प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल का कार्यालय/मुख्यालय को पूर्व स्थापित स्थानों में ही रखने। 6. नैनीताल महायोजना के अन्तर्गत आवासीय भू-उपयोग के तहत भूखण्ड प्लाट के उप विभाजन पर लगी रोक शासन स्तर से हटाने एवं आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत करने। 7. पंजीकृत कृषकों द्वारा अपनी नाप भूमि में उत्पादित तेजपात की निकासी दिये जाने। 8. यू.पी. डिजिटल्स लि. भवाली के 24 कर्मियों की सेवाऐं उत्तरांचल में नियमित बनाये रखने, 9. कालाढूंगी-नैनीताल में पौलिटेक्निक स्कूल की स्थापना करने। 10. नगर पंचायत कालाढूंगी नैनीताल में सन् 1947 से पूर्व निवास करने वाले आवासहीनों को मालिकाना हक प्रदान करने, 11. पंगूट-दैचौरी-कोटाबाग (नैनीताल) के मोटर मार्ग निर्माण करने, 12. ज्योलीकोट जनपद नैनीताल के समीप नालों के कटान से जनता को हो रहे जानमाल के खतरे का निवारण करने, 13. ज्योलीकोट (नैनीताल) में आई.टी.आई. की स्थापना करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14. इण्डो-डच मशरूम परियोजना (ज्योलीकोट-नैनीताल) द्वारा उत्पादकों को पूर्व में निर्धारित शर्तों के अनुसार सुविधायें न देने से गरीब मशरूम उत्पादकों को ऋण के कुचक्र से निकालने, 15. भुजियाघाट-मोरा (वि.ख. भीमताल) नैनीताल कृषकों की सुविधा हेतु मार्ग एवं पुल निर्माण करने, 16. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाली परीक्षाओं में प्रदेश के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से बुलाने, 17. नगर पंचायत क्षेत्र कालाढूंगी जनपद नैनीताल में भूमि कटाव से काश्तकारों की भूमि एवं जानमाल को उत्पन्न खतरे के निराकरण करने, 18. रानीबाग (नैनीताल) स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल चित्रशिला का विकास करने, 19. जनपद नैनीताल में प्राकृतिक आपदाओं से काश्तकारों की फसलों को बचाए जाने के लिए हेलनेट या अन्य सुरक्षा प्रणाली अपनाये जाने, 20. बल्दियाखान, ज्योलीकोट जनपद नैनीताल में काश्तकारों की उत्पाद की सुरक्षा के लिए कोल्डस्टोर के निर्माण करने, 21. कालाढूंगी-भवाली एवं ज्योलीकोट नैनीताल में कृषि उप मण्डी स्थापित करने। 22. पर्यटन की दृष्टि से गठियाताल (नैनीताल) का सौन्दर्यकरण किये जाने, 23. ओखला ढुंगा विकासखण्ड भीमताल जनपद नैनीताल क्षेत्र में राष्ट्रीय वृत्त बैंक शाखा खोलने, 24. मेडिकल कालेज हल्द्वानी (नैनीताल) में उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क में छूट दिये जाने। 25. रोडवेज़ वर्कशाप भवाली जनपद नैनीताल को भवाली में दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने।
21.	श्री काशी सिंह ऐरी श्री पुष्पेश त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल राज्य का नाम ऐतिहासिक व पौराणिक तथ्यों के आधार पर "उत्तराखण्ड" रखे जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2. उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी पर्वतीय राज्य के मध्यस्थल पेशावर काण्ड के महानायक वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली की कर्मस्थली चन्द्रनगर गैरसैण में स्थापित करने, 3. राज्य प्राप्ति के लिये अपने प्राणों की आहूति देने वाले क्रान्तिवीरों के परिवारों को सम्मानित करने व शहीदों की स्मृति को अक्षुण रखने, 4. राज्य आंदोलन के लगभग ढाई दशकों के लम्बे संघर्ष में राज्य प्राप्ति हेतु कारावास की यातना सहने वाले वास्तविक आंदोलनकारियों, घायल आंदोलनकारियों यातनाऐं सहने वाले आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानियों की भाँति सम्मानित करने व रोज़गार प्रदान करने, 5. राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर जैसे जघन्य काण्डों के लिये उत्तरदायी अधिकारियों को दण्डित करने, 6. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश भेजे जाने, 7. राज्य की प्रमुख भाषाओं कुमाऊँनी, गढ़वाली, जौनसारी को आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने, 8. प्रदेश में शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु, विज़टिंग फैकल्टी, राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान अल्मोड़ा व देहरादून के अंशकालिक शिक्षकों को नियमित करने तथा नियत वेतनमान में कार्यरत अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं की नियमित नियुक्ति किये जाने, 9. पुनागिरी, द्वाराहाट, पाण्डखोली, तड़ागताल, जौरासी, बैजनाथ, मानिला, चौखुटिया को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने, 10. स्वयं सेवी एवं निजी संस्थाओं को लीज़ पर दिये गये राजकीय उद्यानों सहित अन्य उद्यानों को स्थानीय शिक्षित बेरोज़गारों की सहकारी समिति बनाकर लीज़ पर दिये जाने, 11. उत्तरांचल में स्थापित हो रहे सरकारी गैर सरकारी उद्योगों में उत्तरांचल के मूल निवासी शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोज़गारों को 85 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने, 12. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मस्टरोल तथा वर्कचार्ज कर्मियों को नियमित किये जाने, 13. प्रदेश के सीमांत क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सीमांत जनपदों में विकास की विशेष योजनाऐं लागू किये जाने हेतु पृथक से निधि की व्यवस्था किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14. उत्तरांचल परिवहन निगम की बस सेवा हल्द्वानी से वाया द्वाराहाट तिपौला तक किये जाने, 15. उत्तरांचल परिवहन निगम की हल्द्वानी से दुनागिरी तक नियमित बस सेवा शुरू किये जाने, 16. उत्तरांचल परिवहन निगम की बस सेवा रामनगर से वाया मौंसी जालली होते हुए द्वाराहाट तक शुरू किये जाने, 17. उत्तरांचल परिवहन निगम की बस सेवा रानीखेत से वाया द्वाराहाट गोदी-खीड़ा (चौखुटिया) तक शुरू किये जाने, 18. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदुलिया को उच्चीकृत किये जाने, 19. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्रमोत्तर जूनियर हाईस्कूल ईड़ा चौधार को हाईस्कूल तक उच्चीकृत किये जाने, 20. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्रमोत्तर जूनियर हाईस्कूल चित्रेश्वर को हाईस्कूल तक उच्चीकृत किये जाने, 21. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्रमोत्तर जूनियर हाईस्कूल भटकोट को हाईस्कूल तक उच्चीकृत किये जाने, 22. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुनागिरी को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत किये जाने, 23. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत आदर्श इण्टर कालेज सुरईखेत में इण्टर स्तर पर वित्तीय मान्यता (बाइलाजी) किए जाने, 24. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत महाकालेश्वर में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, 25. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वाराहाट को नागरिक चिकित्सालय का दर्जा दिये जाने, 26. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट में महिला चिकित्सालय खोले जाने, 27. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित बिन्ता (जनपद अल्मोड़ा) में आई.टी.आई. एवं चौखुटिया में महिला पौलीटेक्निक खोले जाने, 28. गोविन्द बल्लभ कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर की कृषि अनुसंधान शाखा चौखुटिया में खोले जाने, 29. होटल मैनेजमेन्ट संस्थान द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा में खोले जाने, 30. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गगास पम्पिंग योजना पंद्रह ग्रामसभाओं हेतु (खीरोघाटी) तत्काल बनाये जाने, 31. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट चौखुटिया में बन्द दस हाइड्रम योजनाओं को पुनः चालू किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

32. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रिस्कना पुल (तिपोला) से खलना पैठानी (नौरी) दस कि0मी0 सड़क बनाये जाने,
33. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत छतगुल्ला बैण्ड मल्ली कहाली, तल्ली कहाली से बाडी होते हुए बेढुली तक सड़क बनाये जाने,
34. सीमान्त जनपदों के सभी नौजवानों हेतु सैनिक भर्ती की शैक्षिक योग्यता कक्षा-8 (आठ) उत्तीर्ण रखने की सिफारिश केन्द्र सरकार से किये जाने,
35. वि0स0 क्षेत्र कनालीछीना के मुख्यालय कनालीछीना तथा उप तहसील देवलथल को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने,
36. वि0स0 क्षेत्र कनालीछीना में स्थित व संचालित सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूल डुँगरी-मिताड़ी गाँव हरड़ीखान, तामाकोट तथा चौपाता को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकृत व प्रान्तीयकृत किये जाने,
37. वि0स0 क्षेत्र कनालीछीना के अन्तर्गत मानक पूरा करने वाले सभी जू0हा0 स्कूलों को हाई स्कूल तक तथा हाईस्कूलों को इन्टर तक उच्चीकृत किये जाने,
38. बस्तिया (टनकपुर) झूलाघाट जौलजीवी मोटर मार्ग को पूरा किये जाने हेतु धनराशि दिये जाने तथा जौलजीवी झूलाघाट तक अवशेष मोटर मार्ग को प्राथमिकता से पूरा किये जाने,
39. पूर्व घोषित जालली ब्लाक की विधिवत स्थापना किये जाने,
40. कुमाऊँ द्वाराहाट के ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्याल्दे बिखौती मेले को विशेष राजकीय दर्जा दिये जाने,
41. द्वाराहाट पुनर्गठन पेयजल योजना एवं चौखुटिया पेयजल योजना को पूर्ण करने हेतु शीघ्र धन आवंटन करने,
42. द्वाराहाट वि0स0 क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 35 अतिरिक्त हैण्डपम्प स्वीकृत करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
22.	श्री हरबंस कपूर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तरांचल के नगरीय क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मास्टर प्लान बनाये जाने, सफाई कर्मियों की भर्ती किये जाने, नगरीय क्षेत्रों में बहने वाले गंदे नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने हेत सफाई गैंगों का गठन किये जाने, नालों तथा सीवर लाइनों की सफाई हेतु उपकरण उपलब्ध कराये जाने, अपोषित क्षेत्रों में नई सीवर लाइनों के अन्तिम छोर पर सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान लगाये जाने,
2. उत्तरांचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने,
3. उत्तरांचल में बेरोज़गारी दूर करने हेतु नई रोज़गार नीति बनाये जाने,
4. प्रदेश में पौलीथीन का उत्पादन विपणन एवं उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने,
5. प्रदेश की ढुलमुल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने,
6. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं देहरादून विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को समाप्त करने व देहरादून के सुनियोजित विकास हेतु योजना बनाये जाने,
7. देहरादून में बकरालवाला से भण्डारीबाग तक बहने वाले गंदे नाले में सभी सीवर कनैक्शनों को किये जाने और सीवर कनैक्शनों को सीवर लाइन से जोड़े जाने, नालों में सी.सी. पाइप डाले जाने, बंद नालों के ऊपर मार्ग निर्माण कराये जाने, मुख्य मार्गों पर यातायात के दबाव को कम किये जाने,
8. देहरादून वि0स0 क्षेत्र में पेयजल के अभाव वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने हेतु पण्डितवाड़ी, खुड़बुड़ा, चूक्खूवाला, गोविन्दगढ़, कौलागढ़, विजय पार्क क्षेत्रों में नलकूप लगाये जाने,
9. देहरादून में बढ़ती आबादी निरन्तर बढ़ते वाहनों की संख्या से उत्पन्न यातायात समस्या के समाधान हेतु फ्लाई ओवरों का निर्माण कराये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10. देहरादून की विश्वविख्यात बासमती चावल एवं लीची उत्पादन को संरक्षण प्रदान किये जाने तथा बासमती चावल एवं लीची के उत्पादन करने वालों को प्रोत्साहित किये जाने, 11. देहरादून वि0स0 क्षेत्र के पुरानी आबादी वाले क्षेत्र की पेयजल प्रणाली के लिए मास्टर प्लान बनाये जाने क्षतिग्रस्त एवं पुरानी लाइनों को बदले जाने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
23.	श्री हरभजन सिंह चीमा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में काशीपुर को जिला घोषित किये जाने, 2. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में ग्रामीण क्षेत्र में की जा रही चकबन्दी को रोककर बन्दोबस्त कराये जाने, 3. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में नगर पालिका काशीपुर व उससे जुड़ी कालोनियों में जल सप्लाई व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने, 4. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर की नगर पालिका काशीपुर की जलभराव समस्या का निदान करने, 5. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर की नगर पालिका काशीपुर में सफाई व्यवस्था एवं हैण्डपम्पों की व्यवस्था करने, 6. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में सड़कों, पुलों, पुलियों की जर्जरता से छुटकारा दिलाये जाने, 7. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में बह रही ढेला नदी के मुरादाबाद रोड क्रासिंग से दक्षिण दिशा में नदी के पूर्वी तट पर 2 कि0मी0 लम्बा बांध बनाये जाने,

क्र.सं. प्रस्तावक का नाम — संशोधन का रूप

8. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में ग्राम सभा ढकिया कला के ग्राम ढकिया नं0-1 ग्राम शिवलालपुर अमरझड़ा एवं ग्राम जुकी म.नं. 1 में एक-एक नवीन कन्या हाईस्कूल स्थापित कराये जाने एवं जू0हा0 स्कूल बरखेड़ी, ढकिया नं0-1, पैगा एवं जोशी मजरा के उच्चीकरण किये जाने,
9. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में पथरी नदी पर 2 पुल बनाये जाने,
10. लगभग 15 वर्ष पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा जनपद उधमसिंह नगर में काशीपुर की 14 औद्योगिक इकाईयों की परिवहन उत्पादन से संबंधित जाँच सी.बी.सी.आई.डी. बरेली द्वारा सतर्कता विभाग, उत्तरांचल को स्थानांतरित किये जाने से उपजी स्थिति के प्रति मा0 मुख्यमंत्री द्वारा वाद वापस लिये जाने हेतु लिये गये निर्णय के बावजूद भी उत्तरांचल सरकार द्वारा केस वापस न लिये जाने,
11. उत्तरांचल में पिछड़ी हुई जट सिक्ख जाति को पिछड़ा वर्ग घोषित किये जाने,
12. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में वर्ष 2002-03 के अन्तर्गत अलीगंज मार्ग एवं मानपुर-फिरोजपुर मार्ग के निर्माण में गुणवत्ता की जाँच कराये जाने,
13. जनपद उधमसिंह नगर की नगर पालिका काशीपुर में बाईपास बनाये जाने,
14. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में हवाई पट्टी बनाये जाने।